


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय समसंख्यक आदेश शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/स्थाईकरण/एसीपी/2018 के द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक	विषय	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	अमिता अग्रवाल	अर्थशास्त्र	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2016-17 दिनांक 28.05.18	क.सं. 01 कॉलम संख्या 06 पर अंकित RPSC के स्थान पर RVRES पढा जावें।
2	मनोज कुमार बिश्नोइ	भूगोल	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/स्थाईकरण/2016 दिनांक 27.1.17	क.म.03 पर कॉलम संख्या 07 पर अंकित 10.09.17 के स्थान पर 11.09.17 पढा जावें।
3	रोशन आरा	उर्दू	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/स्थाईकरण/2018 दिनांक 07.06.18	क.म. 10 पर कॉलम संख्या 07 पर अंकित 24.02.18 के स्थान पर 23.02.18 पढा जावें।
4	रेणू सांखला	उर्दू	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/स्थाईकरण/2018 दिनांक 09.05.18	क.स.12 पर कॉलम संख्या 07 पर अंकित 26.02.18 के स्थान पर 27.02.18 पढा जावें।
5	आत्मा राम रेगर	उर्दू	शिविरा/मा/संस्था/सी-5/स्थाईकरण/2018 दिनांक 09.05.18	क.स. 04 पर कॉलम संख्या 06 पर अंकित 24.02.16 के स्थान पर 26.02.18 पढा जावें।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक

9/7/18

- क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/18
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
49. संबंधित उपनिदेशक (मा)
 50. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
 51. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि
 52. संबंधित कार्मिक
 53. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
 54. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर